

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

आदेश पत्र सं. 46 2009	धारा अंतर्गत 53 RTA	ग्राम छबड़ा	तहसील छबड़ा
वादी माधुलाल	वाद शीर्षक बनाम	प्रतिवादी शिवी वगैरा	
वकील :-	आदेश पत्रक	वकील :-	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
18-3-09	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 RTA विरुद्ध कृष्णा गण के नामांकन के पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्वा का क्लिक किया गया। प्रकरण दर्ज रजि. किया जाये। कृष्णा गण को जारी के समान रखन किया जाकर पत्रावली दिनांक 30-4-09 को पेश हो।	324-8C 23-3-09
18-6-09	पत्रावली पेश हुई। वकील कारी उमर। जहाँ कारी गण के समान वाद गलीब जफ रही इलई इका रखवाना पेश करें। पत्रावली काहे रखनी दिनांक 1-7-09 को पेश हो।	
17/09	पत्रावली पेश करी कारी उमर। परिवारिक के समान काय तानिज जा नही हो। इका तैयार पेश करे। पत्रावली करी हो दिनांक 12-8-09 को पेश हो।	
12/09	पत्रावली पेश हुई। वकील कारी उमर। जहाँ के अति कमतरताय मजिस्ट्रेट द्वारा हाजिरा के पेश किया। परिवारी नं. 1 वी अति के अंतर रेडिगे- कलातरताय लेगी की एक पत्रावली पेश हो। जहाँ के वकील कारी उमर वकील कारी उमर अति नली एक तरफा के बरस दिनांक 12/09 को पेश हो। पत्रावली काहे कलातरताय रेडिगे रेडिगे जाय दि. 23/9/09 को पेश हो।	

आज पीठ में अधिकारी के अन्य कार्य में  
घरत होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में  
दिनांक 14/01/23 ... को पेश हो।

श्री ५५  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

4/23 पत्रावली पेश हुई। वजुलाए परीक्षण उपस्थित।  
प्रतिवादी कठ 6 के व्यापक कारण से तलबी हेतु  
तलवाना पेश नहीं हुआ। पत्रावली वाले तलबी/तलवाना  
व्यापक कारण दिनांक 21/2/23 को पेश हो।

21/2/23 आज पीठ में अधिकारी के अन्य कार्य में  
घरत होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में  
दिनांक 12/1/23 ... को पेश हो।

श्री ५५  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

4/23 पत्रावली पेश हुई। वजुलाए परीक्षण उपस्थित।  
वकील भाषी प्रॉ. ५५ प्रस्तुत कर प्रकरण/वाद पत्र  
को विद्वोल करने व पत्रावली भी तलब करने वाकत  
निवेदन किया। वकील भाषी वाद पत्र को चलाया  
नहीं जाइते है विद्वोल करना जाइते है। प्रकरण  
में भाषी वही उही स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली  
फैशल सुभार हो कर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)